अति तत्काल
फैक्स / स्पीड पोस्ट से

संख्या : 14/4/2012-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 27 सितंबर, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू योजना के लिए 14 सितंबर, 2012 को आयोजित की गई अनुमोदन बोर्ड की चौथी बैठक (2012 सीरीज) का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी को 14 सितंबर, 2012 को आयोजित ईओयू योजना के लिए अनुमोदन बोर्ड की चौथी बैठक (2012 सीरीज) के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. कृपया इस विभाग को अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वयन रिपोर्ट प्राथमिकता आधार पर भेजें।

(संजीत सिंह)
निदेशक
टेलीफैक्स : 23062109
ई-मेल : sanjeet@nic.in

संलग्नक : यथोपरि

1. **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग**
2. **सीबीईसी (सदस्य, सीमा शुल्क), वित्त मंत्रालय**
3. **सीबीडीटी (सदस्य, आयकर), वित्त मंत्रालय**
4. **डीजीएफटी**
5. **संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**
6. **संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
7. **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय**
8. **विकास आयुक्त, सीएसईजेड, एफएएसईजेड, आईएसईजेड, केएएसईजेड, एमएसईजेड, एनएसईजेड, एसईईपीजेड – एसईजेड और वीएसईजेड**
9. **महानिदेशक, ईपीसीईएस**
10. **सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय**

प्रति प्रेषित : वाणिज्य सचिव के पीएसओ / अपर सचिव(एमपी) के पीएसओ / संयुक्त सचिव (एडब्ल्यू) के पीएसओ / निदेशक(एसएस) के पीएस

ईओयू योजना के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 14 सितंबर, 2012 को पूर्वाह्न 10:00 बजे आयोजित अनुमोदन बोर्ड की चौथी बैठक (2012 सीरीज) का कार्यवृत्त

वाणिज्य सचिव श्री एस आर राव की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 14 सितंबर, 2012 को ईओयू के लिए अनुमोदन बोर्ड की चौथी बैठक (2012 सीरीज) हुई। अध्यक्ष महोदय ने बीओए के सभी सदस्यों का स्वागत किया और इसके बाद चर्चा के लिए एजेंडा लिया गया।

4.1(12) : 6 जुलाई, 2012 को आयोजित बीओए की तीसरी बैठक (2012 सीरीज) के कार्यवृत्त की पुष्टि

अनुमोदन बोर्ड ने 6 जुलाई, 2012 को आयोजित बीओए की तीसरी बैठक (2012 सीरीज) के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

4.2(12) : मैसर्स इन्नोवल मेडिकल इंडिया लिमिटेड - बीमार यूनिट का जीर्णोद्धार

अनुमोदन बोर्ड ने 30 मई, 2012 के बाद एलओपी की अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध पर विचार किया। बोर्ड द्वारा यह टिप्पणी की गई कि कंपनी के प्रबंधन के संबंध में विवाद के कारण यूनिट ठीक से काम करने में असमर्थ थी और 56.14 करोड़ रुपए की अपनी निर्यात बाध्यता को पूरा नहीं कर पाई तथा 30 मई, 2012 तक 15.47 करोड़ रुपए की अपनी एनएफई बाध्यता को भी पूरा नहीं कर पाई। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सिफारिश की कि चूंकि यूनिट अब नए प्रबंधन के अधीन है तथा यूनिट में 15 करोड़ रुपए की नई पूंजी लगाई गई है, एलओपी की अवधि बढ़ाई जा सकती है ताकि यूनिट अपने व्यवसाय का संचालन कर सके। मामले के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 30 मई, 2012 के बाद 5 साल की अगली अवधि के लिए एलओपी के विस्तार की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया।

4.3(12) : मैसर्स ब्रिटिश इंजन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड – सेवा की गतिविधियों को शामिल करना

अनुमोदन बोर्ड ने सेवा की गतिविधियों को शामिल करने के लिए यूनिट के अनुरोध पर विचार किया। बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट द्वारा एलओए में शामिल करने के लिए प्रस्तावित सीएडी / सीएएम सहायता सेवाएं यूनिट की गतिविधियों की ब्राडबैंडिंग के तहत शामिल थीं। अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की कि सेवा की गतिविधियों से आय की गणना डीटीए पात्रता के लिए नहीं की जाएगी और यह कि यूनिट द्वारा विनिर्माण एवं सेवा की गतिविधियों के रिकार्ड / व्यौरे अलग से रखे जाएंगे।

4.4(12) : मैसर्स जेजे स्पेक्ट्रम सिल्क – जॉब वर्क के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट के अनुरोध पर विचार किया तथा प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान नहीं की, क्योंकि यह मौजूदा नीति के तहत अनुमत नहीं है।

4.5(12) : मैसर्स प्रयास ऊलन्स – 30 सितंबर, 2012 के बाद एलओपी की अवधि बढ़ाना

अनुमोदन बोर्ड ने 30 सितंबर, 2012 के बाद एलओपी की अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध पर विचार किया। बोर्ड ने 24 जनवरी, 2012 को लिए गए अपने पिछले निर्णय को दोहराया कि विदेश व्यापार नीति के एसबीपी के परिशिष्ट 14-1-सी में निहित स्पष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए जीर्ण-शीर्ण / प्रयुक्त कपड़ों की रि-प्रोसेसिंग / रि-साइक्लिंग की गतिविधियों में शामिल यूनिटों को एलओपी की अवधि बढ़ाने के लिए और अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि ईओयू योजना के तहत ऐसी गतिविधियां अनुमत नहीं हैं। तदुनसार, बोर्ड ने 30 सितंबर, 2012 के बाद मैसर्स प्रयास ऊलन्स के एलओपी की वैधता बढ़ाने के लिए मंजूरी नहीं प्रदान की।

अनुमोदन बोर्ड ने यह निदेश दिया कि जीर्ण-शीर्ण / प्रयुक्त कपड़ों की रि-प्रोसेसिंग / रि-साइक्लिंग के व्यवसाय में शामिल सभी अन्य ईओयू जैसे कि मैसर्स गीतांजलि ऊलन्स के एलओपी की वैधता अवधि 31 मार्च, 2013 तक सीमित होगी। बोर्ड ने विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड को इस निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का निदेश दिया।

4.6(12) : मैसर्स मैनेटा आटोमोटिव कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड – नए उत्पादों को शामिल करने के लिए अनुमति

अनुमोदन बोर्ड ने एसआर क्वायल स्लिट / एचआर शीट / एचआर कट आदि के विनिर्माण तथा निर्यात के लिए ब्राडबैंडिंग हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए यूनिट के अनुरोध पर विचार किया। बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्तावित गतिविधि उसके व्यवसाय की मौजूदा गतिविधि के बैकवर्ड इंटीग्रेशन की प्रकृति की है। अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की कि स्लिट क्वायल जो यूनिट का मुख्य उत्पाद नहीं है, को डीटीए में क्लीयर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.7(12) : मैसर्स सिब्रामा न्यूएज – माल के समेकन के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निर्यात के प्रयोजनार्थ विनिर्मित वस्तुओं के साथ खरीदी गई वस्तुओं जैसे कि नोट पैड, राइटिंग पैड, डायरी, पेपर पैकिंग शीट, पैकिंग और रैपिंग पेपर आदि के समेकन की अनुमति प्रदान करने के लिए यूनिट के अनुरोध पर विचार किया। अनुमोदन बोर्ड ने विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.2(1) के अनुसार शर्तों की पूर्ति के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

4.8(12) : मैसर्स यूनिमिन इंडिया लिमिटेड – एलओपी के नवीकरण के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने 13 मार्च, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में एलओपी के नवीकरण के लिए यूनिट जो बीआईएफआर तहत पंजीकृत है, के अनुरोध पर विचार किया था, जहां बीआईएफआर द्वारा घोषित किए जा रहे जीर्णोद्धार पैकेज को सुगम बनाने के उद्देश्य से तथा उसके अधीन अगले 5 वर्षों के लिए मार्च, 2010 के बाद यूनिट के एलओपी की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। बोर्ड ने टिप्पणी की कि बीआईएफआर द्वारा जीर्णोद्धार पैकेज प्रक्रियाधीन है और एलओपी की अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने तथा ग्रीन कार्ड जारी करने के लिए यूनिट के अनुरोध पर विचार किया ताकि वे अन्य ईओयू तत्काल जॉब वर्क शुरू करके अपना प्रचालन पुन: आरंभ करने में समर्थ हो सकें। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने इस शर्त पर प्रस्ताव की सिफारिश की कि यूनिट को किसी कच्चे माल या सामग्री के और आयात के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। तदनुसार, बोर्ड ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने तथा ग्रीन कार्ड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की तथा यह शर्त रखी कि जब तक

यह पॉजिटिव एनएफई की कसौटी पूरी नहीं कर लेगी तब तक यूनिट को किसी आयात की अनुमति नहीं होगी।

4.9(12) : मैसर्स रावेची फ्लोरीटेक प्राइवेट लिमिटेड – एलओपी का नवीकरण

अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट के अनुरोध पर विचार किया। विकास आयुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए इस तथ्य के आलोक में कि अपने उत्पादों के निर्यात में यूनिट के समक्ष मौजूद बाधाओं को अब दूर कर दिया गया है तथा यह कि यूनिट ने सकारात्मक परिणाम का आश्वासन दिया है, अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त पर 1 अप्रैल, 2009 से 5 वर्ष की अवधि के लिए एलओपी के नवीकरण के लिए मंजूरी प्रदान की कि जब तक यूनिट एनएफई की सकारात्मक कसौटी को पूरा नहीं कर लेगी तब तक उसे और किसी आयात की अनुमति नहीं होगी।

4.10(12) : मैसर्स एएसबी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड – ड्यूटी फ्री प्रापण के लिए अनुरोध

यूनिट के अनुरोध पर विचार किया गया। अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि यूनिट ने अतीत में अच्छा निष्पादन किया है और पॉजिटिव एनएफई प्राप्त किया है तथा यूनिट के एलयूटी के साथ संलग्न सामग्री छूट सूची के तहत प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न प्रकार की लाइट फिटिंग तथा फाल्स सीलिंग की मदों को शामिल करने की अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

4.11(12) : मैसर्स जैनेक्स – एलओपी के निरसन के विरूद्ध अपील

अनुमोदन बोर्ड ने 24 अप्रैल, 2012 के बाद दो साल के लिए उनके एलओपी की अवधि बढ़ाने हेतु यूनिट की अपील पर विचार किया। अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि यूनिट 6 साल तक अपने एलयूटी का निष्पादन करने में समर्थ नहीं हुई है और यूनिट के एलओपी को निरस्त करने के संबंध में विकास आयुक्त, एनएसईजेड के निर्णय को बरकरार रखा। बोर्ड ने टिप्पणी की कि यूनिट नया एलओपी जारी करने के लिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड से उस समय संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगी जब यह अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए तैयार हो जाएगी।

4.12(12) : मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (वेदांता) – विद्युत ऊर्जा को उपभोज्य ऊर्जा मानने के संदर्भ में स्पष्टीकरण के लिए निजी सुनवाई हेतु अपील

अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट की अपील पर विचार किया। अनुमोदन बोर्ड द्वारा 28 नवंबर, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में इस मामले पर विचार किया गया था और फिर 6 जुलाई, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अपील के रूप में इस पर पुन: विचार किया गया था। दोनों अवसरों पर बोर्ड ने विदेश व्यापार नीति के तहत समवत निर्यात लाभ प्राप्त करने के लिए विद्युत ऊर्जा को उपभोज्य ऊर्जा के रूप में मानने के लिए यूनिट के अनुरोध को मंजूरी प्रदान नहीं की थी। निजी तौर पर चुने जाने के लिए यूनिट के अनुरोध पर, यूनिट के प्रतिनिधियों को बोर्ड के समक्ष अपना मामला रखने का अवसर प्रदान किया गया। मामले के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने बोर्ड की पिछली बैठकों में लिए गए निर्णय को बदलने से इंकार कर दिया तथा समवत निर्यात लाभ प्राप्त करने के लिए विद्युत ऊर्जा को उपभोज्य ऊर्जा के रूप में मानने के लिए यूनिट के अनुरोध को मंजूरी प्रदान नहीं की।

****

भाग-2

अनुमोदन बोर्ड ने 1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्तों/यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित अनुमोदनों की पुष्टि की

(क)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ	सीएसईजेड
(ख)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ	एफएएसईजेड
(ग)	जून और जुलाई, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	आईएसईजेड
(घ)	1 अप्रैल, 2012 से 30 जनू, 2012 की अविध के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	केएएसईजेड
(ङ)	जून और जुलाई, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एमएसईजेड
(च)	1 फरवरी, 2012 से 24 अगस्त, 2012 की अविध के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एनएसईजेड
(छ)	24 मार्च, 2012 से 23 अगस्त, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एसईईपीजेड – एसईजेड
(ज)	1 अप्रैल, 2012 से 30 जून, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	वीएसईजेड

प्रतिभागियों की सूची

1	**श्री एस आर राव, वाणिज्य सचिव**	**अध्यक्ष**
2	**श्री मधुसूदन प्रसाद, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग**	
3	**श्रीमती रूचिरा पंत, महानिदेशक (डीजीईपी), राजस्व विभाग**	
4	**डा. ए के पुजारी, डीजीएफटी**	
5	**श्री अनूप वाधवा, संयुक्त सचिव**	
6	**श्री मनोज कुमार अरोड़ा, अपर निदेशक, डीजीईपी, सीबीईसी, राजस्व विभाग**	
7	**श्री संजीत सिंह, निदेशक, वाणिज्य विभाग**	**सदस्य सचिव**
8	**श्री एस किशोर, विकास आयुक्त, वीएसईजेड और सीएसईजेड**	
9	**श्री सी पी एस बख्शी, विकास आयुक्त (प्रभारी), एनएसईजेड**	
10	**श्री महेंद्र जैन, विकास आयुक्त, केएसईजेड**	
11	**श्री एस एन पाटिल, संयुक्त विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड**	
12	**श्री अनिल बाम्बा, विकास आयुक्त केएएसईजेड**	
13	**श्री ए के राठौर, विकास आयुक्त, एसईजेड**	
14	**श्री एन पी एस मोंगा, विकास आयुक्त, एसईईपीजेड – एसईजेड**	
15	**श्री संजीव नंदवानी, विकास आयुक्त, एफएएसईजेड**	
16	**डा. एल बी सिंघल, अपर डीजीएफटी**	
17	**सुश्री सुरभि शर्मा, अवर सचिव, (आईटीए-1), सीबीडीटी, राजस्व विभाग**	
18	**श्री एस एस कुमार, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग**	

***